184

संख्या–571/XVIII-(2)/F/13-12(4)/2013,TC

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादूनः दिनांक 17 जुलाई, 2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के जनपदों में लगातार हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यो हेतु कोषागार नियम–24 के अंतर्गत धनराशि का व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–228/मु.स.–नि.स./2013, दिनांक 03 जुलाई, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के जनपदों में लगातार हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यो हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल **₹ 77.00 करोड़ (₹ सतहत्तर करोड़ मात्र)** की धनराशि टी.आर.–24 के तहत व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– कोषागार नियम–24 के अन्तर्गत आहरण से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि परिस्थितियॉ अत्यन्त ही अपरिहार्य स्थिति की हैं और उतनी ही धनराशि आहरित करें, जो न्यूनतम आवश्यकीय हो।

3– आहरण एवं व्यय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा अनुकिया कोष (NDRF) के अन्तर्गत अधिसूचित आपदाओं के लिये ही अनुमन्य होगा।

4– उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अधिसूचित आपदावार ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

5– कोषागार नियम–24 से आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु यथासमय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा धनराशि का व्यय प्रचलित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के तहत किया जायेगा।

6– भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012, संख्या–32-3/2012-NDM-I, दिनांक 28 सितम्बर,2012 एवं संख्या–32-3/2013. NDM-I, दिनांक 21 जून, 2013 के माध्यम से राज्य आपदा मोचन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये है। जिसकी प्रति पूर्व में आपको प्रेषित करा दी गई है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– उपरोक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं के लिये ही अनुमन्य होगा, सड़क, पुलों व अन्य अवस्थापनाओं की मरम्मत की मदों व

एस0डी0आर0एफ0 से उन मदों की अनुमन्यता भी मानकों में स्पष्ट है व उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या–10 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो में मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो यथा–मार्गो एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबन्धित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुंऐं, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहां तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

8–. आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यो के लिए किया जायेगा, जो एस.डी.आर.एफ. के दिशा–निर्देशों में अनुमन्य हैं एवं जिनके लिए राज्य स्तरीय समिति से नियमानुसार आवश्यकता का आंकलन करा लिया गया हो और व्यय आंकलन के अनुसार ही किया जायेगा।

9– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

10– मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी–

1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना नियमानुसार प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आगणंनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें।
5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य प्राकृतिक आपदा से

क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यो में कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

11— वास्तविक क्षति के कार्यो पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यो, नव निर्माण तथा विकास कार्यो में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

12— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. (F.I.R.) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13 क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गो एवं हल्का वाहन मार्गो के प्रस्तावों पर वास्तविक क्षति के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई एवं क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा प्रति कि0मी0 सड़क निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु मूल आगणंन के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

14— अश्व मार्ग जन सामान्य के उपयोग में सर्वथा सुलभ नहीं होते हैं। अतः अश्वमार्गो के प्रस्ताव पर राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि अश्व मार्गो का उपयोग पैदल मार्ग के रूप में जन सामान्य द्वारा उपयोग होता है तो इस स्थिति में आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

15— पैदल मार्गो के प्रस्तावों में वास्तविक क्षति के अनुरूप ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी। मार्ग की कुल लम्बाई, क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई तथा मार्ग की मरम्मत कहां से कहां तक होनी है, यह स्पष्ट किया जाय। लो0नि0वि0 द्वारा प्रति कि0मी0 सड़क मरम्मत हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु अन्य आगणन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

16— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के जिला पंचायत, विकास खण्ड एवं स्थानीय निकाय आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्राप्त आगणनों, जहां अधिशासी अभियन्ता स्तर के अभियन्ता न हो, वहां लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से प्रमाणित/सत्यापित कर, दरें प्रतिहस्ताक्षरित करायी जाए।

17— प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के व्यय हेतु निर्धारित नवीन मद एवं मानकों से आच्छादित होने एवं निर्धारित समयावधि के अन्दर क्षति होने की पुष्टि तथा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सुस्पष्ट संस्तुति के बाद ही कार्य योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत की जायेगी।

18– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

19– कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

20– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्य योजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर राज्य आपदा मोचन निधि से निर्मित कार्ययोजना का नाम, लागत, दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कॉक्रीट/बोर्ड पर अंकित कर दिया जाए।

21– भारत सरकार द्वारा नामित एक स्वतंत्र एजेन्सी से भी जनपदों के कार्यो का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जायेगा। अतः जनपद स्तर पर कार्यो में निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की जायेगी, जिसके द्वारा कार्य की क्षति, धनराशि के सही उपयोग गुणवत्ता आदि की समीक्षा की जायेगी।

22– जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जायेगा।

23– वित्तीय वर्ष 2013–14 तक राज्य आपदा मोचन निधि से जारी समस्त स्वीकृतियों तथा इसके सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का **लेखा मिलान** संबंधित जिलाधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक **तीन माह** में सुनिश्चित कराया जायेगा।

24– उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। राज्य आपदा मोचन निधि के व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर संबंधित जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

25– पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था भारत सरकार के राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय हेतु निर्धारित मद एवं मानकों के अनुसार ही की जायेगी। अर्थात विशिष्ठ पेयजल कमी की परिस्थितियों में राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त अधिकतम 30 दिनों के लिए पेयजल व्यवस्था की जा सकती है। यदि सूखे (क्लावनहीजए अधिनियम में परिभाषित) की स्थिति हो तब अधिकतम 90 दिनों तक पेयजल आपूर्ति राज्य स्तरीय समिति (SEC) के अनुमोदन से की जा सकेगी। सामान्य पेयजल व्यवस्था में बाधा होने या पेयजल विभाग की आपूर्ति सम्बन्धी अन्य कठिनाइयों के कारण इस मद की धनराशि देय नहीं होगी। यह भली भांति सुनिश्चित किया जाय।

26– प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की सम्यक पहिचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जाये। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर संबन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

27– उपरोक्त प्रस्तावित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–आयोजनेत्तर–800–

अन्य व्यय–00–13–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय मद में भविष्य में समायोजित किया जायेगा।

28– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–62 NP/वित्त अनु0–5/2013, दिनांक 15 जुलाई, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या–571(1)/XVIII-(2)/F/13-12(04)/2013 TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

शासनादेश संख्या–571/XVIII-(2)/F/13-12(4)/2013 TC, दिनांक 17 जुलाई, 2013 का संलग्नक

क0सं0	जनपद	कोषागार नियम–24 से स्वीकृति हेतु धनराशि (₹ करोड़ में)
1	उत्तरकाशी	8.50
2	रूद्रप्रयाग	8.50
3	चमोली	8.50
4	पिथौरागढ़	8.50
5	बागेश्वर	8.50
6	नैनीताल	4.00
7	पौड़ी गढ़वाल	4.00
8	टिहरी गढ़वाल	4.00
9	अल्मोड़ा	4.50
10	चम्पावत	4.50
11	हरिद्वार	4.50
12	ऊधमसिंहनगर	4.50
13	देहरादून	4.50
	कुल योग	77.00

(कुल ₹ सतहत्तर करोड़ मात्र)

(भास्करानन्द)
सचिव